

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 228149

पटना, दिनांक 14.04.15

ग्रा.वि.- 14(पू0)पू0-02/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,  
सचिव।

सेवा में,

श्री बदरुद्दी अहमद,

**निबंधित**

।  
(तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैसा, पूर्णियाँ)

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्णियाँ से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप बैसा प्रखंड (जिला-पूर्णियाँ) में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके प्रखंड को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के जापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

4. आपके प्रखंड से संबंधित जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि
1568.73	₹ 2149160.1

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 1568.73 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अतः आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं समानुपातिक राशि वसूली की कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन,  
(प्रदीप कुमार)  
सचिव

65

New Delhi  
Dated 27 December 2005

To

The Secretary,  
Rural Development Department,  
Government of Bihar,  
Patna

**SUBJECT :** Transition From the SGRY and the NFFWP towards  
the implementation of NREGA in Districts identified.

10/12/05

Sir/Madam,

The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) will be implemented in select identified Districts in the initial stage (list enclosed). The National Food for Work Programme (NFFWP) and the Sampurna Gramin Rozgar Yojana (SGRY) will merge in these identified Districts with the Employment Guarantee Scheme once NREGA comes into force. In this regard, following guidelines are being issued to the Government of Bihar in order to facilitate smooth transition from the SGRY and NFFWP towards NREGA in the identified Districts. You may refer to the attached copy of the Government of India's notification on this subject.

1. The NREGA is notified in the identified Districts in the Government of Bihar. The demand for employment would be met from the ongoing SGRY and NFFWP works. The funds used will be from SGRY/NFFWP accounts. But the work allotted to those who have demanded work under the BOS will be recorded as work given for purposes under NREGA. Section 3 of the Act flows. By stipulating that the State Government notifies its BOS, the Action Plan for the SGRY or NFFWP which ever is in force will be deemed to be the action plan for the scheme for the purposes of the Act. For non-NFFWP identified under NREGA, additional funds are being released separately. For every identified 200 districts is being released for printing of Job Cards and registers prescribed.

11/12/05

2. Under the SGRY/NFFWP, works are not opened on demand for employment but according to a plan of infrastructure needs. Once the SGRY/NFFWP works also become instruments for NREGA, they will also absorb labour that is allotted employment on them through NREGA (after registration and Job Card and Demand process is followed). Therefore, during the transition period, SGRY/NFFWP will be employing labour both

78  
11/10/05

Contd...2/-

राज्य सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग  
पटना

under NREGA and SGRY NFFWP. In this regard, some of the key points are that 100 days of employment which is permissible under the Act.

3. The incomplete works under the SGRY NFFWP, if any, will be allowed to be completed upto 30.6.2006 out of the balance funds available with the Districts.

4. Under the NREGA, only cash will be given. As such no foodgrains will be provided. The foodgrains authorization should terminate with the close of this financial year. Lifting of foodgrains authorized during the current year under the SGRY and the NFFWP will not be allowed next year.

5. If employment is allotted on a demand made under NREGA then wage employment should be made in cash only. This is to prevent any possible challenging of the quantum of wages paid.

6. The implementation of works under the SGRY consists 50% for Gram Panchayats. This is in contrast with the similar under the NREGA. The remaining 50% of works under NREGA can be executed by the line departments and other statutory bodies. Thus, under SGRY, the allocation of 50% to District Panchayats and 50% to Intermediate Panchayats also under the spirit of the Act to ensure equality to Panchayats in implementing NREGA. Under the NFFWP implementation will involve a number of agencies. In the condition stated in this financial year, 50% of works have not been sanctioned for execution by the Gram Panchayats by State. The districts may be instructed that if NFFWP works are started this year under the NFFWP, priority may be given to the Gram Panchayats.

7. The SGRY and the NFFWP will be closed with the end of this financial year. There would be a budget head only for the EGS.

8. In light of the above, you are requested to address these issues and issue necessary instructions to the all concerned including the Collector and other implementing authorities to initiate prompt action accordingly. Action taken in this regard by the State Government may also be intimated to this Ministry.

बिहार सरकार,  
ग्रामीण विकास विभाग

Yours faithfully,

(Amrita Sharma)  
Joint Secretary

दिनांक 28/5/06, प्रारूपित, दिनांक- 08/वि.वि.40/04

प्रतिलिपि, सभी उप विकास आयुक्तों को अनुसूचित तहसिल  
तुम्हारे एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप तहसिल ।

dist	block	bdoo_name	R_Food	Amt	Present_Add
पुणियाँ	अमौर	श्री मयूख	1210.08	1657809.60	
पुणियाँ	अमौर	श्री विजय कुमार	1210.08	1657809.60	अनुमण्डल पदाधिकारी, फूलपरास (मधुबनी)
पुणियाँ	अमौर	श्री इन्द्रजीत प्रसाद सिंह (बि0कू0से0)	1210.08	1657809.60	
पुणियाँ	बी0 कोठी	श्री राजेन्द्र प्र0 सिंह	758.08	1038569.60	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर
पुणियाँ	बी0 कोठी	श्री देवेन्द्र कू0 दद	758.08	1038569.60	जिला मध्याह्न भोजन योजना पदाधिकारी, सिवान
पुणियाँ	बी0 कोठी	श्री अजीत कुमार	758.08	1038569.60	भूमि संधार उप समाहर्ता, इमरांव (बक्सर)
पुणियाँ	बी0 कोठी	श्री राजेश कुमार	758.08	1038569.60	
पुणियाँ	बी0 कोठी	श्री कुन्दन कुमार	758.08	1038569.60	अनुमण्डल पदाधिकारी, मुंगेर
पुणियाँ	बेसा	श्री सुधाशु कू0 चौबे	1568.73	2149160.10	भूमि संधार उप समाहर्ता, पटना सदर (पटना)
पुणियाँ	बेसा	श्री बदरुही अहमद	1568.73	2149160.10	
पुणियाँ	बेसा	श्री विजय कुमार	1568.73	2149160.10	
पुणियाँ	बेसा	श्री स्वयंभू प्रिय	1568.73	2149160.10	अनुमण्डल पदाधिकारी, फूलपरास (मधुबनी)
पुणियाँ	बेसा	श्री अरविन्द कुमार (बि0कू0से0)	1568.73	2149160.10	उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
पुणियाँ	बेसा	श्री आलोक कुमार (2512/99)	1568.73	2149160.10	
पुणियाँ	बायसी	श्री घनश्याम झा	788188.4	788188.4	आन्त सचिव, मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना
पुणियाँ	बायसी	श्री संजय कू0 भगत	788188.4	788188.4	
पुणियाँ	बायसी	श्री शम्बीर अहमद	788188.4	788188.4	
पुणियाँ	बायसी	श्री राजीव रंजन प्रभाकर (905)	788188.4	788188.4	वरीय उप समाहर्ता, गया
पुणियाँ	बायसी	श्री विजय कू0 पांडेय (42बी/90)	788188.4	788188.4	जिला श्रम पदाधिकारी, औरंगाबाद
पुणियाँ	बायसी	श्री मनोज कू0 झा	788188.4	788188.4	निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अररिया
पुणियाँ	बनमानखी	श्री मुकूल कुमार	11756.14	16105911.8	वरीय उप समाहर्ता, पटना
पुणियाँ	बनमानखी	श्री राजेन्द्र प्र0 सिंह	11756.14	16105911.8	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर
पुणियाँ	बनमानखी	श्री सुभाष चंद्र वर्मा (1033/99)	11756.14	16105911.8	
पुणियाँ	भवानीपुर	श्री युगल पंडित	2987.9	4093423	
पुणियाँ	भवानीपुर	श्री शौलाजीत सिंह	2987.9	4093423	
पुणियाँ	भवानीपुर	श्री राजेश झा	2987.9	4093423	
पुणियाँ	भवानीपुर	श्री ओम प्रकाश कुमार (बि0कू0से0)	2987.9	4093423	
पुणियाँ	इगरुआ	मौ0 कामिल अख्तर (833)	788.83	1080697.1	वरीय उप समाहर्ता, शेखपुरा
पुणियाँ	इगरुआ	श्री राजीव रंजन प्रभाकर (905)	788.83	1080697.1	वरीय उप समाहर्ता, गया
पुणियाँ	इगरुआ	श्री मनोज कू0 झा (2308/99)	788.83	1080697.1	निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अररिया
पुणियाँ	जलालगढ़	श्री अरुण कुमार	1097.26	1503246.2	वरीय उप समाहर्ता, सुपौल
पुणियाँ	जलालगढ़	श्री राजदेव सिंह	1097.26	1503246.2	
पुणियाँ	जलालगढ़	श्री ऋषिदेव झा (1822/99)	1097.26	1503246.2	निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा
पुणियाँ	कै0 नगर	श्री विमल कू0 मंडल (787)	1013.76	1388851.2	अनुमण्डल पदाधिकारी, सुपौल
पुणियाँ	कै0 नगर	श्री बिनदेश्वरी मंडल	1013.76	1388851.2	
पुणियाँ	कै0 नगर	श्री विष्णुदेव प्रसाद	1013.76	1388851.2	
पुणियाँ	कै0 नगर	श्री संजय कुमार (883)	1013.76	1388851.2	अनुमण्डल पदाधिकारी, अररिया
पुणियाँ	कै0 नगर	श्री श्रीधर चिरुवाल	1013.76	1388851.2	

पुणेयाँ	के0 नगर	श्री सजय कुमार	1013.76	1388851.2	अनूपडल पदाधिकारी, अररिया
पुणेयाँ	के0 नगर	श्री अभय कुमार सिंह (2366/99, 866)	1013.76	1388851.2	वरीय उप समाहर्ता, नालन्दा
पुणेयाँ	के0 नगर	श्री अरविन्द कुमार (2194/99)	1013.76	1388851.2	भूमि संधार उप समाहर्ता, गोपालगंज
पुणेयाँ	कसबा	श्री राजदेव सिंह	500.78	686068.6	
पुणेयाँ	कसबा	श्री मलज कुमार (790)	500.78	686068.6	अनूपडल पदाधिकारी, बनमनखी (पुणेयाँ)
पुणेयाँ	कसबा	श्री विमल के0 मडल (2224/99, 787)	500.78	686068.6	अनूपडल पदाधिकारी, सुपौल
पुणेयाँ	पुणेयाँ पूर्व	श्री विष्णु प्रसाद	1867.45	2558406.5	
पुणेयाँ	पुणेयाँ पूर्व	श्री सजय कुमार	1867.45	2558406.5	
पुणेयाँ	पुणेयाँ पूर्व	श्री राजीव राठौर (42बी0/14)	1867.45	2558406.5	पशासी पदाधिकारी, नगर विमानन शाखा, मंत्रिमण्डल सचिवालय, बिहार, पटना
पुणेयाँ	पुणेयाँ पूर्व	श्री राय निरजन चौधरी (828/08)	1867.45	2558406.5	वरीय उप समाहर्ता, जमुई
पुणेयाँ	पुणेयाँ पूर्व	श्री राजेश गुप्ता (2378/99)	1867.45	2558406.5	राजस्व एवं भूमि संधार विभाग, बिहार, पटना
पुणेयाँ	रुपौली	श्री नवीन कुमार	495.9	679383	अनूपडल पदाधिकारी, तारापुर (मुंगेर)
पुणेयाँ	रुपौली	श्री बी0एन0 सिंह	495.9	679383	
पुणेयाँ	रुपौली	श्री विवेकानन्द झा	495.9	679383	उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
पुणेयाँ	रुपौली	श्री प्रभू दास (2301/99)	495.9	679383	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, सुपौल
पुणेयाँ	श्रीनगर	श्री ब्रज किशोर ठाकुर	2120.83	2905537.1	
पुणेयाँ	श्रीनगर	श्री राजेश कुमार	2120.83	2905537.1	
पुणेयाँ	श्रीनगर	श्री विमल के0 मडल (787)	2120.83	2905537.1	अनूपडल पदाधिकारी, सुपौल
पुणेयाँ	श्रीनगर	श्री राजेश परिमल	2120.83	2905537.1	पशासी पदाधिकारी, जीविका, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार
पुणेयाँ	धमदाहा	श्री अजय के0 ठाकुर (1702/99)	4722.09	6469263.30	आप्ल सचिव, मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना